

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

कार्यालय

महाप्रबंधक(कार्मिक)

दिनांक : 12.2022

No. MCF-RBL/Tech-I/Fitter/IRMT/2022/04

उप मुख्य यांत्रिक अभियंता, शैल

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

विषय : अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर श्री अविनाश कुमार, कर्मचारी सं. 52000453980 यांत्रिक-फिटर, लेवल-5 को आरेडिका, रायबरेली से श्री अरविन्द कुमार, तकनीशियन-III यांत्रिक-फिटर, पी.एफ.सं. 06929800069 सिंगल वर्कशॉप, उत्तर रेलवे, गाजियाबाद में कार्यरत के साथ स्थानांतरण के लिए कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: Office of CWM Signal Workshop Ghazizbad L.No.SWS/GZB/5-E/7/Estt/Mutual Transfer Dt.-15.11.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा श्री अविनाश कुमार, कर्मचारी सं. 52000453980 तकनीशियन-I, यांत्रिक-फिटर, लेवल-5 आरेडिका, रायबरेली को श्री अरविन्द कुमार, तकनीशियन-III यांत्रिक-फिटर, पी.एफ.सं. 06929800069, सिंगल वर्कशॉप, उत्तर रेलवे, गाजियाबाद में कार्यरत के साथ अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण के तहत श्री अविनाश कुमार को निम्नलिखित शर्तों पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

1. कर्मचारी को रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(एनजी)1-2001/टीआर /16 दिनांक 21.11.2001 के निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य मुक्त किया जाए।
2. कर्मचारी के कार्यमुक्ति पत्र में उनके फोटो पर कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर होना चाहिए।
3. कार्यमुक्ति पत्र में कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं बाए हाथ के अंगूठे का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
4. चूंकि यह स्थानांतरण, अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर है अतः कर्मचारी को स्थानांतरण पर टी.ए/ डी.ए स्थानांतरण पास, जॉइनिंग टाइम एवं कम्पोजिट ट्रांफर ग्रांट इत्यादि देय नहीं है।
5. सिंगल वर्कशॉप, उत्तर रेलवे, गाजियाबाद में इनको कार्यग्रहण पर इनकी वरिष्ठता का निर्धारण अंतर रेलवे पारस्परिक हेतु जारी नियम के अंतर्गत किया जाएगा।

श्री अविनाश कुमार, कर्मचारी सं. 52000453980 को कार्यमुक्ति करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि कर्मचारी के विरुद्ध डी.एंड ए.आर. से सम्बंधित मामला लंबित न हो व सम्बंधित कार्यालय से नो ड्यूज प्रमाण पत्र से साथ पिछले माह व कार्यमुक्ति तिथि तक कि उपस्थित पंजिका कि सत्यापित प्रति एवं कर्मचारी का नवीनतम तीन पासपोर्ट साइज कि फोटो के साथ कार्यमुक्ति हेतु इस पत्र के जारी होने से 03 दिनों के अंदर कार्मिक विभाग में नो ड्यूज के साथ रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित करें, ताकि कर्मचारी को मुख्य कारखाना प्रबंधक (कार्मिक) सिंगल वर्कशॉप, उत्तर रेलवे, गाजियाबाद के लिए कार्यमुक्त किया जा सके।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

Digitally signed by A
K Yadav
Date: 2022.11.02
16:31:02 +05:30

(डॉ अनिल कुमार यादव)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / राज.
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. CWM(P), Signal Workshop Ghaziabad- 201009 :- कृपया श्री अरविन्द कुमार, तकनीशियन-III यांत्रिक-फिटर, पी.एफ.सं. 06929800069 को आरेडिका, रायबरेली में पदभार ग्रहण हेतु कार्यमुक्त करने का प्रबंध करें।
2. मुख्य कारखाना अभियंता/ शैल, मु. चिकित्सा अधिकारी आरेडिका, रायबरेली।
3. पी.एस.टू प्रधान मु.का.अधि., प्र.मु.विधुत अभि., उप मु.वित्त प्रबंधक एवं सलाहकार आरेडिका, रायबरेली।
4. प्र.मु.अभि., उप मु. संकेत एवं दूरसंचार अभियंता, IT Cell आरेडिका, रायबरेली।
5. Ch.OS/bill, Ch.OS/Co-ordination, Ch.OS/Misc., MPP Cell आरेडिका, रायबरेली